

• नुकसान...

सेब बागवानों पर
मौसम की मार

❖ पहली अगस्त तक
शिमला जिला में 33,612
पेटियों का हुआ कारोबार

शिमला : शिमला जिला में वर्ष 2023 के मुकाबले अभी तक मर्डियों में सेब की पेटियां 50 फीसदी कम पहुंची है। पिछले वर्ष जहां पहली अगस्त तक मर्डियों में करीब 8 लाख तक पेटियां मर्डियों में पहुंच चुकी थीं, तो वहीं इस वर्ष अभी तक 4 लाख 12 हजार पेटियों का कारोबार हुआ है। इसमें 2,82,585 पेटियों का कारोबार एपीएमसी की सेब मर्डियों में हुआ है, जबकि 1,30,341 पेटियों का कारोबार एपीएमसी के मार्केटिंग यार्ड के बाहर हुआ है।

20 किलों की सभी पेटियां-मार्केटिंग बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक यह सभी पेटियां 20 किलो की हैं। इस वर्ष पहली अगस्त को शिमला जिला में 33,612 पेटियों का कारोबार

• प्रदेश...

किञ्चन अभ्यान ने उठाई उक्खान की मांग



शिमला : सुनी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही कंपनी द्वारा की जा रही अवैध डंपिंग के खिलाफ प्रोजेक्ट से प्रभावित किसानों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीरवार को ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा व हिमाचल किसान सभा के बैनर तले पावर प्रोजेक्ट प्रभावित किसानों ने शिमला में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और कंपनी के खिलाफ एक्शन की मांग उठाई।

प्रभावित किसानों ने सुनी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही कंपनी पर अवैध डंपिंग का आरोप लगाया। किसानों ने कहा कि, कंपनी अवैध डंपिंग कर रही है जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रभावित किसानों के प्रतिनिधियों ने दो टूक चेतावनी दी है, यदि प्रदेश सरकार व पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 15 दिन में कंपनी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती है और किसानों को मुआवजा नहीं दिलाती है तो प्रदेश सरकार, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व कंपनी के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

उधर, ठियोग के पूर्व विधायक व किसान नेता राकेश सिंघा ने कहा कि सुनी बांध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रभावित किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने आज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ज्ञापन सौंपा। जिसमें कहा गया है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सुनी में पावर प्रोजेक्ट बना रही कंपनी दरिया में अवैध डंपिंग कर रही है। जिससे प्रोजेक्ट को भूमि देने वाले किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा की जा रही अवैध डंपिंग के विषय में उन्होंने पहले भी मुख्य सचिव को बीडियो और शिकायत दी है लेकिन कंपनी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भले ही कंपनी पर जुर्माना लगाने के दावे कर रहा हो लेकिन वह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंट्रोल बोर्ड द्वारा लगाए जा रहे जुर्माने से ज्यादा खर्च प्रभावित किसानों को इससे हो रहे नुकसान पर हो रहा है। राकेश सिंघा ने दावा कि प्रोजेक्ट का निर्माण कर कंपनी केंद्र सरकार की चहरी है और कंपनी ने इस प्रोजेक्ट का काम लेने के लिए बीजेपी को इलेक्टोरल बांड के जरिए 45 करोड़ की धूस दी थी। सिंघा ने दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार व पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यदि 15 दिनों के भीतर कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता और अवैध डंपिंग पर रोक नहीं लगाता तो किसान सभा प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर ताला जड़कर, कंपनी को प्रदेश से बाहर खेद़ा जाएगा।



हुआ, जबकि 2023 में इसी तिथि को सेब का कारोबार देगुना था। पिछले वर्ष पहली अगस्त को शिमला जिला में 68 हजार पेटियों का का कारोबार हुआ था। इससे अंदर्जा लगाया जा सकता है कि शिमला जिला में इस बार भी सेब का कारोबार काफी कम है।

सेब उत्पादन के पीछे कई कारण-बागवानों की माने तो शिमला जिला में घटते सेब उत्पादन के पीछे कई कारण हैं। मुख्य रूप से बदलता मौसम इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। गर्मियों के दिनों में जहां सुखे की स्थिति पैदा हो जाती है, तो वहीं सर्दियों में बर्फबारी नहीं हो रही है। वहीं मार्च अप्रैल में जब सेब की फसल में फूल खिलने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो आंधी तूफान और ओलावृष्टि समेत कई प्रकार की मुसीबतें पैदा हो गई हैं। इसके कारण शिमला जिला में सेब का उत्पादन घट रहा है।

• कानूनी लड़ाई...

शानन को वापस लेने के प्रयास



शिमला : सीएम सुखिंद्र सिंह सुकूने ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिला मंडी के जोगिन्द्रनगर में 110 मेगावाट की शानन जल विद्युत परियोजना को लेकर जारी कानूनी लड़ाई के संदर्भ में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार का मामला मजबूती से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश के लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार हिमाचल के अधिकारों को वापस लेने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल के दौरान शानन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था। वर्ष 1925 में मंडी के तत्कालीन राजा जोगिन्द्र बहादुर और पंजाब के मुख्य अधियंता के बीच 99 वर्षों के लिए लोटी समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। उस समय से ही इसका प्रशासनिक अधिकार पंजाब के पास है। इस वर्ष 2 मार्च, 2024 को लोज समाप्त हो गई है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र अधिकार में है और पंजाब सरकार को अविलंब इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश को लौटा देना चाहिए।



विदेश से आयात की गई दालें खाले हिमाचली

● पंकज / शिमला

हिमाचल में रसोई घर में अब विदेशी दालों का स्वाद चखने से लोगों को नई और अनोखी फ्लेवर्स का अनुभव होगा। दालों की कमी को पूरा करने और बाजार में कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए इस बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 5200 से अधिक डिपुओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण विदेशी दालें उपलब्ध कराई जाएंगी। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के होल सेल गोदाम में ये दालें पहुंचनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में अब डिपुओं के माध्यम से लाखों उपभोक्ता को इस महीने विदेशी दालों का स्वाद अनुभव कर सकेंगे।

पांच और दो रुपये सस्ती मिलेगी आयात की गई दालों: प्रदेश में उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत दिलाने और बाजार की कीमतों में स्थिरता बनी रहे, इसके लिए डिपुओं में दी जाने वाली दाल मलका और उड़द को विदेशों से आयात किया गया है। प्रदेश भर में 5200 से अधिक उचित मूल्यों की दुकानें हैं। जिसमें लाखों उपभोक्ताओं को अब म्यांमार, मोजांबिक और तंजानिया की उड़द और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से आयात की गई दाल मलका उपलब्ध कराई जाएंगी। विदेशों से आयात की गई दालें उपभोक्ताओं को जुलाई महीने के तुलना में सस्ती मिलेंगी। इस महीने डिपुओं में उड़द 5 रुपये और मलका की दाल 1 रुपये प्रति किलो सस्ती मिलेंगी। ऐसे ने उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सकती है।

हर महीने 5500 मीट्रिक टन दालों की खपत: प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत डिपुओं के माध्यम से बाजार से सस्ते रेट पर दालें उपलब्ध करा रही हैं। जिस कारण उचित मूल्यों की दुकानों में लगातार दालों की मांग बढ़ती जा रही है। प्रदेश में हर महीने राशन कार्ड धारक डिपुओं से दाल का कोटा उठा रहे हैं। इस तरह से उचित मूल्य की दुकानों के दालों की लिफिंग सौ फीसदी है। प्रदेश में राशन कार्ड धारकों की संख्या 19 लाख से अधिक है। ऐसे में डिपुओं में हर महीने डिपुओं में दालों की खपत करीब 5500 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है।

प्रदेश में 19 लाख से अधिक कार्ड धारक: हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड धारक हैं। जो उचित मूल्य की दुकानों से सस्ते राशन की सुविधा

का लाभ उठा रहे हैं। इन राशन कार्ड धारकों की कुल आबादी 73,20,338 है। इसमें नॉन एनएफएसए आबादी 43,27,171 है। वहीं, एनएफएसए के अंतर्गत 29,93,167 आबादी कवर होती है।

इसलिए पड़ी जस्तर : भारत दुनिया का सबसे बड़ा दालों का उत्पादक है, जो विभिन्न प्रकार की दालें जैसे चना, मसूर, मूंग, अरहर आदि का उत्पादन करता है। लेकिन मौसमी समस्याएं जैसे सूखा, बाढ़, और अन्य प्राकृतिक आपादाओं के कारण फसलें खराब हो जाती हैं। जिससे बाजार में दालों की कमी हो जाती है। देश सहित प्रदेश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ दालों की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में डिमांड और सप्लाई के अंतर में संतुलन बनाने के लिए आयात के माध्यम से दालों की आपूर्ति को बढ़ाकर घेरू बाजार में कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास किया जाता है। बड़ी जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए विदेशी दालों का आयात खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होती है।

दो युवक गिरफ्तार

कालाअंब : जिला सिरमौर के कालाअंब इलाके में पुलिस ने दो युवकों को नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 19.116 किलोग्राम भुक्ती (चूरापोस्ट) कब्जे में लेकर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने अदालत के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस थाना कालाअंब की एक टीम टोका साहिब गुरुद्वारा मीरपुर कोटला के समीप गश्त पर भौजूद थी। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि मोर्टरसाइकिल पर दो लोग भुक्ती/चूरापोस्ट लेकर पहुंच रहे हैं। लिहाजा, पुलिस ने दो लोगों के पास से कब्जे से 19.116 किग्रा चूरापोस्ट की खेप बारमद की। इसके बाद आरोपियों के विरुद्ध पुलिस थाना कालाअंब में नारकोटिक्स ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्स्टेंस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। उधर, एसएसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा ने बताया कि दोनों आरोपियों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से उन्हें पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।

• नहीं चल रहा सर्वर ...

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में राशन डिपुओं में सर्वर न चलने के कारण उपभोक्ताओं को राशन का वितरण नहीं हो पाया है। जिस कारण बरसात के मौसम में डिपुओं में राशन खाबर हो रहा है। प्रदेश में साढ़े 19 लाख राशन कार्ड धारक हैं। जिसके चलते इन सभी कार्ड धारकों को डिपुओं से राशन लेने में दिक्षित पेश आ रही है। राशन कार्ड धारकों के साथ साथ प्रदेश में 52 सौ डिपु संचालकों को भी परेशान होना पड़ रहा है। राशन कार्ड धारक हर रोज डिपुओं में राशन लेने के लिए पहुंच रहे हैं।